न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 463/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/839

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
कैलाश पुत्र भगाराम जाति मेगवाल निवासी शुभदण्ड तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.हीराराम उर्फ हीराराम पुत्र रावताराम के कायम मुकाम 1/1. बीजाराम पुत्र हीराराम 1/2. डूंगरराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल, निवासी शुभदण्ड तहसील कल्याणपुर 2.अमराराम पुत्र बुधाराम 3.खुशालराम पुत्र बुधाराम 4.धनाराम पुत्र बुधाराम 5.निम्बाराम पुत्र बुधाराम जाति पटेल निवासी कल्याणपुर 6.केवलराम पुत्र इन्द्रराम 7.देवाराम पुत्र भीकाराम 8.दिनेशराम पुत्र इन्द्राराम 9.पूनमाराम पुत्र भीकाराम 10.प्रकाशराम पुत्र इन्द्राराम 11.श्रवणराम पुत्र इन्द्राराम जाति कलबी निवासी कल्याणपुर 12.रूपाराम पुत्र रामाराम जाति पटेल निवासी कल्याणपुर 13.ग्राम पंचायत कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 30.4.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 793/226 क्षेत्रफल 0.3966 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 793/226 क्षेत्रफल 0.3966 हैक्टेयर,भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 793/226 क्षेत्रफल 0.3966 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 793/226 क्षेत्रफल 0.3966 हैक्टेयर,भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 793/226 क्षेत्रफल 0.3966 हैक्टेयर,भूमि प्रार्थी खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढ्ढ पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.6.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 793/226 क्षेत्रफल 0.3966 हैक्टेयर,भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है।

30/04/2026

(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.04.2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

30/04/2026

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा